

की पचावली वाद  
को फेर दो

न्याय कलम 144  
घोलपुर (राज)

8.10.22 वकील वादीय उपस्थित वकील गौ (सायल  
संख्या 2 उपस्थित वकील गौ सायल संख्या  
S, 13, 19, 38, 40 उपस्थित नहीं, उन्हें  
कई बार आपाज लगाई गई वकील गौ (सायल  
संख्या 2 ने जवाब नहीं देना चाहे है) पूर्व  
के कई अवसर मिले जा चुके हैं अतः जवाब  
का अवसर बंद किया जाता है) गौ (सायल संख्या  
S, 13, 19, 38, 40 के विरुद्ध एकपक्षीय  
कार्रवाई अमल के लाई जाती है)

प्रथम पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया  
पत्राचार का अवलोकन किया, वाद की खटुलता  
को रोकने के लिए उभयपक्ष को अस्थायी  
निषेधाज्ञा से बाँध दिया जाना इस उक्ति  
समझा है अतः आदेश है कि विवाद अग्रणी  
खसरा नम्बर 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,  
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 189,  
190, 191, 195, 289 बाँके ताल आसल तहसील व


2

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुये

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर  
अहकाम  
जुम  
में जारी

जिला धौलपुर के शौके एवं रिवाइ की मूल काफ़े तिलाए  
उपशाह्यात क्याय रहने हेतु उअथपडा को  
प्राबंद किया जाता है। जावना पर स्वीकार  
हिया जाता है। पूजावकी फैसलेशुभा होकर  
संलग्न अूलवाद रहे।

  
बहायक कलक्टर मुख्यालय  
धौलपुर (राज०)